न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सुरेन्द्र भास्कर

मु.न. 82/2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी महरादासी

बनाम

रामेश्वरलाल पुत्र सोबक्षराम जाति जाट निवासी बाजीदसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं

–– अप्रार्थी

––

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

––

आदेश

दिनांक 27.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का महरादासी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम बाजीदसर के भूमि ख0न0 118 रकबा 2.25 किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.11 हैक्टर पर रामेश्वरलाल पुत्र सोबक्षराम जाति जाट निवासी बाजीदसर ने चारदीवारी, मकान व टीन शेड बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच पटवारी हल्का से करवाई गई।

पटवारी हल्का महरादासी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.12.2024 के अनुसार प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र सोबक्षराम जहां पर आज दिनांक को मकान बना कर रह रहा है वो भूमि खसरा न. 118 किस्म गै.मु. चारागाह में स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में गै.मु. चारागाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह पर अतिक्रमण नही कर सकता है। चूंकि उक्त अतिक्रमित भूमि गैर मुमकिन चारागाह हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी (सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिहं एंव अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 118 रकबा 2.25 किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.11 हैक्टर में चारदीवारी, मकान व टीन शेड बनाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 55/–रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि गै.मु. चारागाह पर बनी चारदीवारी, मकान व टीन शेड को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा. 4 के पृष्ठ संख्या 8 पर राशि 55 रू वर्ष 24-25 में मांग कायम की गयी।

तहसील राजस्व लेखाकार

(डॉ. सुरेन्द्र भास्कर)
तहसीलदार मंडावा
जिला झुंझुनू।

तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनूं